



पत्रांक:- 394 /उ०शि०नि०मं०/अल्मोड़ा

दिनांक 23.01.2024

श्री महेन्द्र कुमार
वरिष्ठ विधि अधिकारी
उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
विक्टोरिया क्रॉस विजेता , गब्बर सिंह ऊर्जा भवन ,
कांवली रोड , देहरादून -248001
ई-मेल – webadmin@upcl.org एवं cgrf9ocupcl@gmail.com

विषय :- मा० विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंचो द्वारा प्रतिमाह पारित आदेशों के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक 1438MK/म०प्र०(विधिक) एवं क०स०/उपाकालि/दिनांक 05.10.2023 के अनुपालन में विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच अल्मोड़ा में निम्नलिखित लम्बित प्रकरणों में पारित अन्तिम आदेशों की PDF फाइल आपके द्वारा पत्र में उल्लेखित ई-मेल webadmin@upcl.org एवं cgrf9ocupcl@gmail.com पर आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जा रही है।

कृपया उपरोक्त का संज्ञान लें।

संलग्न :- निम्न वादों में पारित अन्तिम आदेशों की प्रतिलिपि।

वाद संख्या (कैम्प पिथौरागढ़)-CG08/2023-24, CG10/2023-24, CG13/2023-24, CG24/2023-24, CG26/2023-24, CG27/2023-24, CG28/2023-24, CG29/2023-24, CG30/2023-24, CG31/2023-24, CG34/2023-24, CG189/2023-24,

कुल -12

(चामू सिंह गस्याल)
न्यायिक सदस्य



उपस्थिति

- 1-चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
- 2-ओपीओ दीक्षित, सदस्य तकनीकी
- 3-पुष्कर सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या – 10/2023-24

श्री गणेश दत्त जोशी पुत्र श्री खिलानन्द जोशी,
ग्राम – कनलगांव (बोर्डिंग हाउस)
पो0 एवं जिला – चंपावत।

परिवादी

बनाम

अधिकांसी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
चंपावत।

विपक्षी

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनके द्वारा उनके कनेक्शन संख्या CH12171401847 के सापेक्ष नियमित रूप से बिलों का भुगतान करने के बावजूद भी उनका बिल अधिक आ रहा है। जिसका भुगतान करने में वह असमर्थ है। पूर्व में उनका बिल रू0 600-700 तक ही आता था। प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 259 दिनांक 18.09.2023 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिकांसी अभियंता विद्युत वितरण खंड चम्पावत को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।
2. जिसके प्रतिउत्तर में विपक्षी विभाग ने अवगत कराया कि वादी के परिसर पर चैक मीटर लगाया गया था, जिसमें मापक की रीडिंग की तुलना करने पर मेन मापक सही पाया गया।
3. मंच की अंतिम सुनवाई की तिथि दिनांक 29.11.2023 को वादी की तरफ से श्री गणेश दत्त जोशी तथा विभाग की तरफ से श्री संदीप जोशी, लेखाकार राजस्व चम्पावत उपस्थित हुए। श्री जोशी ने अद्यतन Statement of Account प्रेषित किया है। जिसके अवलोकन से प्रतीत होता है कि विगत में उपभोक्ता की औसत यूनिट प्रति बिलिंग चक्र लगभग 340 यूनिट आ रही थी, तथा जुलाई/सितम्बर के चक्र में यह करीब 1200 यूनिट आयी हैं। जबकी विद्युत उपभोग पहले जैसा ही है। यह प्रकरण कुछ माह में स्टोर रीडिंग से संबंधित प्रतीत होता है, जिसमें मीटर रीडर ने अनुमानित रीडिंग भरी है।

आदेश

विभाग को निर्देशित किया जाता है कि जब से विद्युत उपभोक्ता असमान हुआ है अथवा विगत 6 माह जो भी अधिक हो, में स्टोर रीडिंग को माहवार वितरित कर संशोधित बिल 15 दिन के अन्दर उपभोक्ता को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, तत्पश्चात् 10 दिन के भीतर मंच के समक्ष उपर्युक्त पर अनुपालन आख्या प्रेषित करें। साथ ही विभाग को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वादी को दो समान किश्तों में बिल जमा करने की सुविधा प्रदान करें। उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 29.11.2023

पुष्कर सिंह रावत
सदस्य उपभोक्ता

ओपीओ दीक्षित
सदस्य तकनीकी

चामू सिंह गस्याल
सदस्य न्यायिक



उपस्थिति

- 1-चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
- 2-ओपीओ दीक्षित, सदस्य तकनीकी
- 3-पुष्कर सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या – 24/2023-24

श्रीमती पुष्पा देवी,
ग्राम – दुतीबगड़, पो0 जौलजीवी
तह0 धारचूला जिला – पिथौरागढ़।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
धारचूला।

विपक्षी

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया है कि जौलजीवी मुख्य बाजार में 250 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर के समीप के घरों को पिछले कई सालों से खतरा बना हुआ है। कई बार शासन व प्रशासन को इस संबंध में पत्र प्रेषित कर दिया है, इसके बावजूद भी उक्त समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। भविष्य में उक्त ट्रांसफार्मर से कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। साथ ही निवेदन किया है कि उक्त समस्या को गम्भीरता से लेते हुए समस्या का निराकरण करने की कृपा करें।
2. प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए मंच के कार्यालय पत्र संख्या 286 दिनांक 16.10.2023 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशाली अभियंता विद्युत वितरण खंड धारचूला को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।
3. मंच की अंतिम सुनवाई तिथि दिनांक 29.11.2023 को वादी एवं प्रतिवादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। यह प्रकरण ट्रांसफार्मर की शिफ्टिंग से संबंधित है। जिसके लिए विभाग द्वारा एक पॉलिसी निर्धारित है। वादी को शिफ्टिंग के लिए उचित जगह/ROW तथा शिफ्टिंग में आने वाले प्राक्कलन राशि का भुगतान करना होता है। अतः वादी को कहा जाता है, कि उचित ROW के नक्शे के साथ विभाग से संपर्क करें।

आदेश

वादी को कहा जाता है कि नक्शे में ROW को अंकित करते हुए तथा शिफ्टिंग में आने वाले व्यय को वहन करने की Undertaking के साथ सम्बन्धित अधिशाली अभियंता को संपर्क करें। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित पॉलिसी के अनुसार उपर्युक्त कार्य को आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण होने पर वरीयता के आधार पर पूर्ण करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉर्म में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 29.11.2023

पुष्कर सिंह रावत
सदस्य उपभोक्ता

ओपीओ दीक्षित
सदस्य तकनीकी

चामू सिंह गस्याल
सदस्य न्यायिक



उपस्थिति

- 1-चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
- 2-ओपीओ दीक्षित, सदस्य तकनीकी
- 3-पुष्कर सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या – 26/2023-24

श्रीमती परूली देवी w/o श्री भवान सिंह,
ग्राम – कोटा, तहसिल – तेजम (मुनस्यारी)
जिला – पिथौरागढ़।

परिवादी

बनाम

अधिकांसी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
धारचूला।

विपक्षी

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनका विद्युत बिल, (कनेक्शन संख्या DH2N205087616) कुछ समय से उपभोग से अधिक आ रहा है। साथ ही मीटर जांच किए बिना ही बिल दे दिया जाता है। प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 307 दिनांक 04.11.2023 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिकांसी अभियंता विद्युत वितरण खंड धारचूला को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।
2. मंच की अंतिम सुनवाई तिथि दिनांक 29.11.2023 को वादी एवं प्रतिवादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रतिवादी की तरफ से पत्र संख्या 643 दिनांक 09.11.2023 के द्वारा सूचित किया गया है कि वादी के संयोजन का बिल दिनांक 08/2022 से 10/2023 तक त्रुटिपूर्ण बने हुए थे। इसी आधार पर कुल धनराशि 2371 का बिल प्रेषित किया गया था। जिसे संशोधित कर बिल रू० 211.00 का बना है। जिस पर वादी द्वारा अपने पत्र दिनांक 28.11.2023 के द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गयी है।

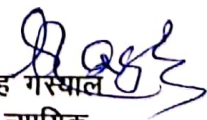
आदेश

विभाग द्वारा बिल संशोधन किए जाने तथा वादी द्वारा इस पर संतुष्टि व्यक्त करने के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।
उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉर्म में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 29.11.2023


पुष्कर सिंह रावत
सदस्य उपभोक्ता


ओपीओ दीक्षित
सदस्य तकनीकी


चामू सिंह गस्याल
सदस्य न्यायिक



उपस्थिति

- 1-चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
- 2-ओपीओ दीक्षित, सदस्य तकनीकी
- 3-पुष्कर सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या - 189/2023-24

श्रीमती विमला देवी,
ग्राम - उसैल पो0 देवलथल
जिला - पिथौरागढ़।

परिवादी

बनाम

विपक्षी

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
पिथौरागढ़।

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनके द्वारा उनके कनेक्शन संख्या PT14147093290 के सापेक्ष नियमित रूप से बिलों का भुगतान करने के बावजूद उनका बिल जनवरी से बहुत अधिक आ रहा है। जबकि मेरा विद्युत उपभोग इतना नहीं है। प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 189 दिनांक 25.05.2023 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशाली अभियंता विद्युत वितरण खंड चम्पावत को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।
2. मंच की अंतिम सुनवाई की तिथि दिनांक 29.11.2023 को वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ तथा विभाग की तरफ से श्री अमित चन्द्र (उपखण्ड अधिकारी) उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि पिछली सुनवाई की तिथि दिनांक 03.11.2023 को उपभोक्ता का संशोधित बिल 2099 रु0 था जिसको उपभोक्ता को उपलब्ध करा दिया गया था। उपभोक्ता का अद्यतन बिल 3145 रु0 का है, जिसे उपभोक्ता को प्रेषित किया जा चुका है, जो कि मीटर रीडिंग के आधार पर निर्गत है तथा सही है।

आदेश

वादी को मंच द्वारा पत्र तथा दूरभाष माध्यम से बार-बार संपर्क किए जाने व उन्हें पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद भी उन्होंने अपनी शिकायत पर कोई रुचि प्रकट नहीं की।

चूंकि उपभोक्ता को रीडिंग आधारित सही बिल प्रेषित कर दिया गया है। जिसे वादी को ससमय जमा करना है। अतः उपर्युक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉर्म में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक - 29.11.2023


पुष्कर सिंह रावत
सदस्य उपभोक्ता


ओपीओ दीक्षित
सदस्य तकनीकी

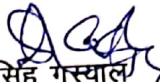

चामू सिंह गस्याल
सदस्य न्यायिक

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉर्म में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्धोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक - 19.11.2023


पुष्कर सिंह रावत
सदस्य उपभोक्ता


ओ०पी० दीक्षित
सदस्य तकनीकी


चामू सिंह गस्याल
सदस्य न्यायिक

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora - 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com



कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर
स्यालीधार, अल्मोड़ा - 263601
ई-मेल - cgrfalmora@gmail.com

उपस्थिति

- 1-चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
- 2-ओपीओ दीक्षित, सदस्य तकनीकी
- 3-पुष्कर सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या - 13/2023-24

श्रीमती पार्वती देवी,
ग्राम - कनलगांव (बोडिंग हाउस)
पो0 एवं जिला - चंपावत।

परिवादी

बनाम

विपक्षी

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
चंपावत।

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनके द्वारा उनके कनेक्शन संख्या CH12171023112 के सापेक्ष नियमित रूप से बिलों का भुगतान करने के बावजूद भी उनका बिल अधिक आ रहा है। जिसका भुगतान करने में वह असमर्थ है। पूर्व में उनका बिल रू0 649 तक ही आता था किन्तु इस बार रू0 8085 आया है। प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 262 दिनांक 18.09.2023 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशाली अभियंता विद्युत वितरण खंड चम्पावत को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।
2. मंच की अंतिम सुनवाई की तिथि दिनांक 29.11.2023 को वादी की तरफ से श्री भुवन चन्द्र पाण्डे पुत्र श्रीमती पार्वती देवी (वादी) तथा विभाग की तरफ से श्री संदीप जोशी (DAR) उपस्थित हुए।
3. विभाग ने बताया कि चैक मापक लगाने के पश्चात् मापक सही पाया गया। प्रस्तुत Statement of Account के अवलोकन से पता लगता है कि वादी का अगर 1 साल का उपभोग पैटर्न देखा जाए तो मई 2022 के बिलिंग चक्र में 188 यूनिट, जुलाई 170, सितम्बर 166, नवम्बर 189, जनवरी 2023 में 275, मार्च 2023 में 170 व मई 2023 के चक्र में एकाएक 1365 यूनिट दर्शायी गयी है। जिससे प्रतीत होता है कि मीटर रीडर ने विगत में कम रीडिंग भरी तथा मई 2023 के चक्र में Accumulated 1365 यूनिट दर्शायी गयी। यह प्रकरण डम्प रीडिंग से सम्बन्धित है।

आदेश

उपर्युक्त के दृष्टिगत विभाग को निर्देशित किया जाता है कि स्टोर रीडिंग अवधि में स्टोर रीडिंग को वितरित कर तथा तत्कालीन टैरिफ स्लैब का लाभ देते हुए 15 दिन के अन्दर वादी को संशोधित बिल प्रेषित कराएँ। तत्पश्चात् 10 दिन के अन्दर मंच के समक्ष अवलोकन हेतु आख्या प्रस्तुत करें।

अगर वादी को संशोधित बिल को एकमुश्त जमा करने में कठिनाई हो तो विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वादी को संशोधित बिल को दो समान किश्तों में जमा करने की सुविधा दी जाए। जिस पर वादी एवं प्रतिवादी ने अपनी सहमती व्यक्त की है।
उपर्युक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

19/11/2023



उपस्थिति

- 1-चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
- 2-ओपीओ दीक्षित, सदस्य तकनीकी
- 3-पुष्कर सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या – 28/2023-24

श्री हरीश प्रसाद
ग्राम दाड़िमखोला-टकौरा
पिथौरागढ़।

परिवादी

बनाम

विपक्षी

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
पिथौरागढ़।

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनके परिसर के ऊपर से बिजली की तार जा रही है तथा तीन मंजिला मकान बनाने तथा छत में आने जाने की दिक्कत हो रही है जिसको या तो बंद केबल में बदला जाए या हाइट वाला पोल लगाया जाए। प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 340 दिनांक 12.12.2023 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशाली अभियंता विद्युत वितरण खंड पिथौरागढ़ को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।
2. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 20.01.2024 में विभाग की तरफ से उपस्थित श्री नितिन गख्वाल अधिशाली अभियंता पिथौरागढ़ ने बताया कि लाइन या पोल शिफ्टिंग के लिये विभाग की तरफ से एक पॉलिसी निर्धारित है जिसके अंतर्गत प्रार्थी को अविवादित आरओडब्ल्यू/स्पेस तथा शिफ्टिंग/नया पोल लगाने या तार बदलने में आने वाले प्राक्कलन की धनराशि का भुगतान करना होता है। मंच की सुनवाई में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

आदेश

विभाग द्वारा निर्धारित पॉलिसी के अनुसार वादी को कहा जाता है कि वह मौजूदा लाइन तथा जहां लाइन शिफ्ट/बंद केबल में बदली जानी है अथवा हाइट वाला पोल लगाना है, की लोकेशन के मैप के साथ अधिशाली अभियंता के कार्यालय में आवेदन करें, जिसके आधार पर प्राक्कलन बनाया जाएगा। प्राक्कलन राशि जमा होने के पश्चात वादी का कार्य त्वरित गति से किया जाए।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉर्म में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 20.01.2024

पुष्कर सिंह रावत
सदस्य उपभोक्ता

ओपीओ दीक्षित
सदस्य तकनीकी

चामू सिंह गस्याल
सदस्य न्यायिक



उपस्थिति

- 1-चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
- 2-ओपीओ दीक्षित, सदस्य तकनीकी
- 3-पुष्कर सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या - 08/2023-24

श्री सोबन सिंह सौन
पुलिस लाइन रोड, कुमोड
पिथौरागढ़।

परिवादी

बनाम

विपक्षी

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
पिथौरागढ़।

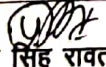
निर्णय

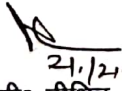
1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनके द्वारा हर महीने बिजली का बिल जमा करने के बावजूद एक महीने का बिल 25000 रूपए आया है जिसमें से विभाग के दबाव के कारण उन्होंने 15000 रूपए आंशिक जमा कर दिये हैं। प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 304 दिनांक 26.10.2023 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशाली अभियंता विद्युत वितरण खंड पिथौरागढ़ को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।
2. मीटर की सत्यता की जांच के लिये विभाग को चैक मीटर लगाने हेतु निर्देशित किया गया। मंच की सुनवाई में उपखण्ड अधिकारी श्री अमित चंद्रा ने बताया कि दिनांक 14.09.2023 से दिनांक 22.09.2023 तक चैक मीटर लगाया गया था जिसके अनुसार मेन मीटर सही पाया गया। विभाग ने यह भी बताया कि जनवरी एवं फरवरी 2023 के बिल एनए पर प्राविजनली निर्गत किये गए थे जिसको संशोधित करने के पश्चात सितंबर का क्लोजिंग बैलेंस 10307 रु. है।
3. मंच की अंतिम सुनवाई तिथि दिनांक 21.12.2023 में उपस्थित उपखण्ड अधिकारी श्री अमित चंद्रा ने बताया कि उपभोक्ता के बिल रु.13217.01 में रु. 5260 को समायोजित कर रु.7957.01 का संशोधित बिल निर्गत कर दिया गया है जिसको अद्यतन वादी को भुगतान करना है। वादी को दूरभाष द्वारा संपर्क किया गया तथा उन्होंने संशोधित बिल पर अपनी सहमति व्यक्त की है तथा एक सप्ताह के अंदर भुगतान करने का वचन दिया है।

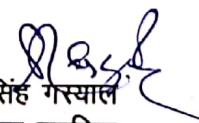
आदेश

विभाग द्वारा बिल संशोधन किये जाने तथा संशोधित बिल पर वादी द्वारा अपनी सहमति व्यक्त किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।
उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉर्म में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक - 21.12.2023


पुष्कर सिंह रावत
सदस्य उपभोक्ता


ओपीओ दीक्षित
सदस्य तकनीकी


चामू सिंह गस्याल
सदस्य न्यायिक



उपस्थिति

- 1-चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
- 2-ओपीओ दीक्षित, सदस्य तकनीकी
- 3-पुष्कर सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या – 27/2023-24

श्रीमती बसन्ती देवी
पत्नी श्री जगत सिंह, गांव कोटा
पिथौरागढ़।

परिवादी

बनाम

विपक्षी

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
धारचूला

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनके परिसर में लगे संयोजन संख्या डीएच 2एन205085624 का बिल प्रतिमाह उपभोग से अधिक आ रहा है जो कि मीटर रीडिंग में गलती को दर्शाता है। प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 339 दिनांक 12.12.2023 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड धारचूला को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।
2. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 20.01.2024 में विभाग की तरफ से उपस्थित श्री वीके बिष्ट अधिशासी अभियंता धारचूला ने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट प्रस्तुत किया जिसको देखने तथा श्री बिष्ट से वार्तालाप करने के पश्चात संज्ञान में आया है कि वादी की बाय मंथली बिलिंग में अप्रैल 2023 में बिल्ड यूनिट 50, जून 2023 में 33, अगस्त 2023 में 07 तथा अक्टूबर 2023 में 451 दर्शायी गई हैं। श्री बिष्ट ने बताया कि यह प्रकरण अक्टूबर 2023 में आई 451 बिल्ड यूनिट को देखते हुए डम्प रीडिंग से संबंधित है।

आदेश

विभाग द्वारा प्रेषित स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अक्टूबर 2023 में एक्युमुलेटेड बिल्ड यूनिट 451 दर्शायी गई हैं। प्रकरण डम्प रीडिंग से संबंधित है। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि डम्प रीडिंग्स को डम्प रीडिंग अवधि में उचित तरीके से वितरित कर तत्कालीन टैरीफ स्लैब का लाभ देते हुए 10 दिन के अंदर वादी को संशोधित बिल निर्गत करना सुनिश्चित करें तत्पश्चात 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉर्म में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

दिनांक – 20.01.2024

पुष्कर सिंह रावत
सदस्य उपभोक्ता

ओपीओ दीक्षित
सदस्य तकनीकी

चामू सिंह गस्याल
सदस्य न्यायिक



उपस्थिति

- 1-चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
- 2-ओपीओ दीक्षित, सदस्य तकनीकी
- 3-पुष्कर सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या – 30/2023-24

प्रधानाध्यपक

रा०प्रा०वि० बसौली,
चम्पावत।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
चम्पावत

विपक्षी

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनके विद्यालय के लिये विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया गया है। परंतु विद्युत संयोजन निर्गत नहीं किया गया है। प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 343 दिनांक 14.12.2023 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशाली अभियंता विद्युत वितरण खंड चम्पावत को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।
2. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 20.01.2024 में विभाग की तरफ से उपस्थित श्री संदीप जोशी डीएआर-चम्पावत ने बताया कि वादी के परिसर में विद्युत संयोजन निर्गत कर दिया गया है। वादी ने अपने पत्र दिनांक 19.01.2024 के द्वारा मंच को सूचित किया है कि उनके विद्यालय में विद्युत संयोजन प्रदान कर दिया गया है तथा प्रार्थी विभाग द्वारा की गई कार्यवाही से पूरी तरह संतुष्ट है।

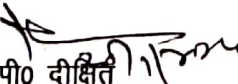
आदेश

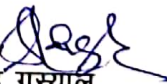
विभाग द्वारा समस्या के निराकरण तथा वादी द्वारा अपनी संतुष्टि व्यक्त करने के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉर्म में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 20.01.2024


पुष्कर सिंह रावत
सदस्य उपभोक्ता

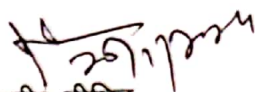

ओपीओ दीक्षित
सदस्य तकनीकी

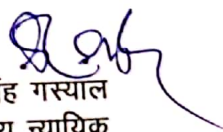

चामू सिंह गस्याल
सदस्य न्यायिक

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉर्म में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक - 20.01.2024


पुष्कर सिंह रावत
सदस्य उपमोक्ता


ओ०पी० दीक्षित
सदस्य तकनीकी


चामू सिंह गस्याल
सदस्य न्यायिक



उपस्थिति

- 1-चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
- 2-ओ०पी० दीक्षित, सदस्य तकनीकी
- 3-पुष्कर सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या - 31/2023-24

श्री श्री चंद्र बहादुर बम
ग्राम देवत,
पोस्ट नैनी सैनी, पिथौरागढ़।

परिवादी

बनाम

विपक्षी

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
पिथौरागढ़

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनका संयोजन 3 किलोवाट का है जिसके मीटर का न्यूट्रल प्वाइंट जल चुका है जिससे करंट लगने का खतरा बना रहता है। उन्होंने 3 किलोवाट से 1 किलोवाट लोड करने के लिये भी निवेदन किया है। प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 348 दिनांक 22.12.2023 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशाली अभियंता विद्युत वितरण खंड पिथौरागढ़ को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।
2. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 20.01.2024 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री नितिन गख्याल, अधिशाली अभियंता पिथौरागढ़ ने बताया कि वादी के परिसर में लगे मीटर की दिनांक 03.01.2024 को जांच की गई जिसमें न्यूट्रल टर्मिनल जला पाया गया जिसको (मीटर) तत्काल उसी दिन बदल दिया गया।
3. श्री गख्याल ने यह भी बताया कि वादी का स्वीकृत भार 3 किलोवाट ना होकर वास्तव में 5 किलोवाट है। उन्होंने बताया कि दिनांक 03.01.2024 को उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर की जांच में उपभोक्ता की अधिकतम डिमांड 7.78 पाई गई है। अतः उपभोक्ता के विद्युत भार को नियमानुसार कम किया जाना वर्तमान में संभव नहीं है।

आदेश

विभाग द्वारा मीटर का न्यूट्रल टर्मिनल जला होने के कारण मीटर बदल दिया गया है। वादी के प्रार्थना पत्र में 3 किलोवाट से 1 किलोवाट भार करने का निवेदन वर्तमान में स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा जांच में अधिकतम डिमांड 7.78 किलोवाट पाई गई है। अगर वादी को लोड कम करवाना है तो पहले वह अपने परिसर में लगे विद्युत भार को वास्तविक रूप से कम करे तत्पश्चात भार कम करने के लिये विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र भर कर आवेदन करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

29/1/24



उपस्थिति

- 1-चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
- 2-ओ०पी० दीक्षित, सदस्य तकनीकी
- 3-पुष्कर सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या - 34/2023-24

परिवादी

श्री अर्जुन नाथ
ग्राम जमतड़ी,
पोस्ट जजुराली, पिथौरागढ़।

बनाम्

विपक्षी

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
पिथौरागढ़

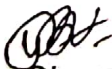
निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनका मीटर नंबर 77837 सितम्बर 2023 में लगा था जिसका बिल उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा है। प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 377 दिनांक 15.01.2024 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशाली अभियंता विद्युत वितरण खंड पिथौरागढ़ को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।
2. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 20.01.2024 में विभाग की तरफ से उपस्थित श्री नितिन गख्याल, अधिशाली अभियंता पिथौरागढ़ ने बताया कि वादी को बिल निर्गत कर दिया गया है जिसकी पुष्टि मंच की सुनवाई में उपस्थित शिकायतकर्ता श्री अर्जुन नाथ ने की है।

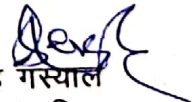
आदेश

विभाग द्वारा समस्या के निराकरण तथा वादी द्वारा अपनी संतुष्टि व्यक्त करने के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।
उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉर्म में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

दिनांक - 20.01.2024


पुष्कर सिंह रावत
सदस्य उपभोक्ता


ओ०पी० दीक्षित
सदस्य तकनीकी


चामू सिंह गस्याल
सदस्य न्यायिक



उपस्थिति

- 1-चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
- 2-ओ०पी० दीक्षित, सदस्य तकनीकी
- 3-पुष्कर सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या – 29/2023-24

श्री शिवराज सिंह पुजारी
निवासी छतार, कलक्ट्रेट रोड
चम्पावत।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
चम्पावत

विपक्षी

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनके परिसर में लगे संयोजन संख्या सीएच 12173057771 का बिल प्रतिमाह लगभग 900 से 1000 रूपए आता था लेकिन कुछ माह से यह बिल 2000 रूपए प्रतिमाह आ रहा है, जो कि मीटर रीडिंग में गलती अथवा मीटर में किसी खराबी को दर्शाता है। प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 341 दिनांक 13.12.2023 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशाली अभियंता विद्युत वितरण खंड चम्पावत को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।
2. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 20.01.2024 में विभाग की तरफ से उपस्थित श्री संदीप जोशी डीएआर-चम्पावत ने बताया कि वादी का बिल संशोधित कर दिया गया है जिसको वादी द्वारा जमा करवा दिया गया है। वादी ने अपने पत्र दिनांक 19.01.2024 के द्वारा उपरोक्त की पुष्टि की है तथा विभाग का धन्यवाद व्यक्त किया है।

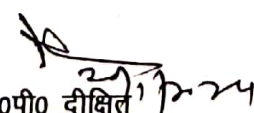
आदेश

विभाग द्वारा समस्या के निराकरण तथा वादी द्वारा अपनी संतुष्टि व्यक्त करने के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉर्म में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 20.01.2024


पुष्कर सिंह रावत
सदस्य उपभोक्ता


ओ०पी० दीक्षित
सदस्य तकनीकी


चामू सिंह गस्याल
सदस्य न्यायिक



उपस्थिति

- 1-चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
- 2-ओपीओ दीक्षित, सदस्य तकनीकी
- 3-पुष्कर सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या - 18/2023

श्री दीपक चंद्र भट्ट
पुत्र श्री पी.डी. भट्ट
होटल लक्ष्मीदीप
निकट रोडवेज स्टेशन,
टनकपुर, जिला चंपावत

परिवादी

बनाम

अधिकांसी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
चंपावत

विपक्षी

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनके व्यावसायिक संयोजन संख्या सीएच 6 टी 161025299 के सामने औसतन मासिक बिल रु.9000 आता रहा है। इसके उपरांत प्रार्थी को बढ़ा हुआ बिल प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि उनके यहां चेक मीटर लगवाया गया था, जिसमें रीडिंग आदि सही पाई गई। उन्होंने कई बार बढ़े हुए बिल के बारे में विभाग से आपत्ति की है किंतु उपरोक्त पर कोई समाधान नहीं हुआ। उन्होंने बिल को ठीक करने के लिये निवेदन किया है। प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 270 दिनांक 19.09.2023 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिकांसी अभियंता विद्युत वितरण खंड चंपावत को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।
2. मंच की अंतिम सुनवाई तिथि 22.01.2024, वादी के अनुरोध पर टनकपुर में आयोजित जनसुनवाई कैंम्प में संपादित की गई जिसमें वादी की तरफ से श्री दीपक भट्ट तथा प्रतिवादी की तरफ से श्री मयंक भट्ट उपखण्ड अधिकारी उपस्थित हुए। वादी ने बताया कि उनका मीटर उनको बिना बताए तथा उनके बिना किसी प्रतिनिधि की उपस्थिति में दिनांक 16.05.2023 को बदल दिया गया था।
3. रिकॉर्ड के अवलोकन तथा उपखण्ड अधिकारी टनकपुर के कथन के अनुसार वादी का मीटर दिनांक 21.11.2022 से 15.05.2023 तक खराब-स्टक रहा। उन्होंने बताया कि खराब मीटर की अवधि में वादी के पुराने विद्युत उपभोग के आधार पर तथा इस अवधि में वादी द्वारा किये गए भुगतान को समायोजित करने के पश्चात दिनांक 28.04.2023 तक के बिलिंग चक्र में वादी का बिल 7353 रूपए निर्गत हुआ था। जिसका वादी द्वारा भुगतान कर दिया गया था। इसके पश्चात नए मीटर रीडिंग के आधार पर तथा दिनांक 28.04.2023 से दिनांक 25.05.2023 तक की अवधि में खराब मीटर का निर्धारण कर वादी को दिनांक 30.06.2023 को रु.23502 का बिल निर्गत किया गया था जो कि 27.12.2023 तक विद्युत उपभोग के आधार पर रु.53685 का हो गया है।
4. वादी ने अपने पत्र दिनांक 22.01.2024 के द्वारा तथा आज मंच के समक्ष टनकपुर में हुई सुनवाई में बताया कि उनके बिना पूछे पुराना मीटर बदला गया तथा मीटर बदलने के बाद मीटर की रीडिंग बढ़ा दी गई जिसके कारण उनका बिल 50000 रु. से अधिक हो गया। विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए स्टेटमेंट ऑफ एकाउंट के अवलोकन से स्पष्ट है कि मीटर रीडर द्वारा मीटर खराब-स्टक होने की अवधि में भी रीडिंग जैसे 256-100-100-3550-111

22/1/24

- आदि अंकित की गई, जबकि उसके द्वारा मीटर खराब होने की सूचना पहले रीडिंग वाले दिन से ही दी जानी चाहिए थी, यह मीटर रीडर की घोर लापरवाही को दर्शाता है जिसके विरुद्ध विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की अनियमितता से बचा जा सके।
5. मंच द्वारा सुनवाई के दौरान मीटर नंबर 2356097, जीनस मेक स्टोर से मंगवाया गया तथा वादी के सामने सप्लाई देकर उसकी रीडिंग की जांच की गई, जो कि 21900.6 प्रदर्शित हुई। परंतु साथ साथ यह रीडिंग बदल रही थी। यह रीडिंग उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने मोबाइल ऐप में 21099 दिखाई गई। उन्होंने बताया कि डिफेक्टिव मीटर होने की वजह से उतारे गए मीटर की जांच करने पर रीडिंग्स बार बार बदल रही हैं। वादी के अनुरोध पर मीटर की एमआरआई कराने के बावत उन्होंने बताया कि पुराना मीटर होने की वजह से मीटर की एमआरआई नहीं हो पा रही है।

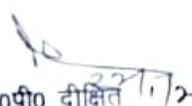
आदेश

विभाग द्वारा मीटर खराब अवधि दिनांक 21.11.2022 से दिनांक 15.05.2023 तक का निर्धारण करने तथा वर्तमान में नए मीटर की रीडिंग के आधार पर 17.12.2023 तक निर्गत किये गए बिल रु. 53685 तथा तत्पश्चात अद्यतन निर्गत बिल यदि कोई हो, का भुगतान वादी द्वारा 15 दिन के अंदर किया जाए। मीटर खराब-स्टक होने के अवधि में भी मीटर रीडर द्वारा मीटर रीडिंग बुक में रीडिंग अंकित किये जाने पर उसके विरुद्ध विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाए ताकि ऐसे प्रकरण की पुनरावृत्ति से भविष्य में बचा जा सके।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।
उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉर्म में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक - 22.01.2024


पुष्कर सिंह रावत
सदस्य उपभोक्ता


ओपीओ दीक्षित
सदस्य तकनीकी


चामू सिंह
सदस्य न्यायिक